न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 151/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अरूण कुमार पुत्र हंसराज जाति जैन निवासी लुणू कला तहसील व जिला बाडमेर।		1 तहसीलदार बाडमेर 2 लकी पत्नी अरूण कुमार जाति जैन निवासी लुणू कला तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री रमेश सोलंकी, वकील प्रार्थी।

2. श्री लोकेश चौधरी, वकील अप्रार्थी संख्या 02।

आदेश

दिनांक 21/07/22

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा लुणू कला पटवार मण्डल चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 597/350 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि तथा प्रार्थी के खेत के सेढा सेढ अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 453/350 रकबा 1.9425 हैक्टयर भूमि की आई हुई है, जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने मूल खसरा संख्या 350 में से क्रय किया था। उक्त क्रयसुदा भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल अनुसार कब्जा काश्त है। पटवारी ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 को सूचित किये बिना मौके व कब्जे काश्त से भिन्न परिशिष्ठ 'ब' अनुसार तरमीम कर दी गई जो तरमीम गलत है। राजस्व अधिकारियों द्वारा तरमीम करते समय मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी गई, जो गलत है। प्रार्थी ने मौके के अनुसार आवेदन के संलग्न परिशिष्ठ 'अ' अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने ईकाबाली जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है, परन्तु लठ्ठा ट्रेस में जो तरमीम की गई है जो अशुद्ध है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार एवं परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम शुद्ध की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा लुणू कला पटवार मण्डल चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 597/350 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि तथा खसरा संख्या 453/350 रकबा 1.9425 हैक्टयर भूमि की वर्तमान तरमीम अशुद्ध होने से उसे निरस्त किया जाना

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

उचित प्रतीत होता है। उभय पक्षों ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब स्वीकार किया जाकर मौजा लुणू कला पटवार मण्डल चूली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 597/350 रकबा 0.8094 हैक्टयर भूमि तथा खसरा संख्या 453/350 रकबा 1.9425 हैक्टयर भूमि में वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" में दर्शाये बरंग लाल अनुसार दुरूस्त की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" आदेश का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 21/01/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर